



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, वेबसाइट : <https://bsea.bihar.gov.in>, Email-bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक 13/02/2025

अधिसूचना

संख्या-नि० प्रा०/ नि० 1-20/2024 ⁴⁷² प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 332 दिनांक 30.01.2025 द्वारा 30 पैक्सों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इन पैक्सों का निर्वाचन कार्यक्रम पूर्व में भी अधिसूचना संख्या- 1871 दिनांक 18.10.2024 द्वारा अधिसूचित हुआ था। किंतु प्रबंध समिति के गठन हेतु वांछित संख्या से कम नामांकन प्राप्त होने की स्थिति में कोरम के अभाव के कारण चुनाव स्थगित हुआ था।

2. वर्तमान निर्वाचन कार्य के संदर्भ में क्षेत्रीय स्तर पर पृच्छा की जा रही है कि पूर्व में नामांकन किये अभ्यर्थियों को पुनः नामांकन करने की आवश्यकता है अथवा नहीं ? इस संबंध में स्पष्ट करना है कि अधिसूचना संख्या- 1871 दिनांक 18.10.2024 के निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार जिन अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन दायर किया गया है, उन्हें भी नामांकन दायर करना होगा, परंतु उन्हें नामांकन शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। नये अभ्यर्थियों को नामांकन शुल्क जमा करना अनिवार्य है।

3. उक्त अधिसूचना की शेष बातें यथावत रहेंगी।

आशुतोष
13-2-25
(आशुतोष कुमार)
अवर सचिव।

ज्ञापांक : 472

पटना/ दिनांक 13/02/2025

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

आशुतोष
13-2-25
अवर सचिव।

ज्ञापांक : 472

पटना/ दिनांक 13/02/2025

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०)/ संबंधित पुलिस अधीक्षक/ संबंधित उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स० स०)/ संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी/ संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आशुतोष
13-2-25
अवर सचिव।

ज्ञापांक : 472

पटना/ दिनांक 13/02/2025

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ सचिव/ परामर्शी/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा-2 (स्थापना) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन की तिथि को कंट्रोल रूम बनाने का आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. श्री वेद प्रकाश, आईटी प्रोफेशनल को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा वेबसाइट पर की जानेवाली विभिन्न प्रविष्टियों को ससमय कराना सुनिश्चित करेंगे।

आशुतोष
13-2-25
अवर सचिव।